संख्या-675 जे0एल/22-3-2024-ई-1758214

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06-12-2024

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-I/800802/2024-22-3016(099)/215/2023-ई-1758214, दिनांक 20-11-2024 एवं अपने पृष्ठांकित पत्र सख्या-1285(1)ए0आर0/2024 दिनांक 25-11-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 20-11-2024 के क्रम में वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-36791/प्रोबेशन-2/267/गृह अवकाश/2024, दिनांक 04-12-2024 में की गयी संस्तुति एवं बन्दियों द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत संलग्न सूची-1 व सूची-2 में उल्लिखित कुल 26 बन्दियों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उनको पूर्व में स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या- 36791/प्रोबेशन-2/267/गृह अवकाश/2024, दिनांक 04-12-2024 के संदर्भ में।

4- गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सूची-1

शासनादेश संख्या- संख्या-675 जे0एल/22-3-2024-ई-1758214, लखनऊः दिनांकः 06-12-2024 **का संलग्नक।**

दिनांक 21-11-2024 को रिहा, गृह अवकाश में वृद्धि किये जाने हेतु 24 बन्दियों की सूची:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निवासी/जनपद	बंदी संख्या
1	2	3	4
01	शिव कुमार पुत्र श्री गुरूचरन वर्मा	सिद्धार्थनगर	17002
02	तीरथ पुत्र श्री बाबू	बहराइच	17186
03	अताउल्लाह पुत्र श्री शब्बीर	सिद्धार्थनगर	17292
04	काशीराम पुत्र श्री तुलसीराम	बहराइच	17295
05	शम्भूनाथ पुत्र श्री भागीरथी	अम्बेडकरनगर	17429
06	नवीन प्रताप सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह	प्रतापगढ़	17436
07	भूरेलाल उर्फ श्याम मनोहर पुत्र श्री पन्नालाल	मैनपुरी	17439
08	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्यामवीर शाक्य	मैनपुरी	17441
09	अजय कुमार उर्फ छोटे पुत्र श्री चन्दूलाल	सीतापुर	17450
10	अशोक कुमार पुत्र श्री बृजपाल	लखीमपुर खीरी	17454
11	प्रदीप सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह	हमीरपुर	17456
12	राम सनेही उर्फ खिलाड़ी पुत्र श्री राधेश्याम पासी	हरदोई	17457
13	बब्लू उर्फ नन्द कुमार पुत्र श्री रामकुमार	फैजाबाद	17458
14	रंगीलाल यादव पुत्र श्री राधेलाल यादव	बहराइच	17459
15	रामू वर्मा पुत्र श्री हंसराज वर्मा	बहराइच	17461
16	विनय कुमार तिवारी उर्फ सत्यदेव पुत्र श्री अरूण कुमार तिवारी	श्रावस्ती	17463
17	अवनेन्द्र प्रताप वर्मा पुत्र श्री बरसाती लाल	श्रावस्ती	17464
18	राजू उर्फ अरविन्द ओझा पुत्र श्री केसरी	गोण्डा	17466
19	संदीप गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता	हमीरपुर	17467
20	अजीजुर्रहमान उर्फ दिलावर पुत्र श्री इस्माइल	गोण्डा	17470
21	राजेश वर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण वर्मा	गोण्डा	17472
22	इरशाद उर्फ कलुआ पुत्र श्री मोहम्मद शहीद अकबर	मथुरा	17478
23	कालीचरन पुत्र श्री हरपाल	बदायूं	17482
24	मानवेन्द्र सिंह पुत्र पहलवान सिंह	जालौन	17487

अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सूची-2

शासनादेश संख्या- संख्या-675 जे0एल/22-3-2024-ई-1758214 लखनऊः दिनांकः 06-12-2024 **का संलग्नक।**

दिनांक 22-11-2024 को रिहा, गृह अवकाश में वृद्धि किये जाने हेतु 02 बन्दियों की सूची:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निवासी/जनपद	बंदी संख्या
1	2	3	4
1	अमरीका पुत्र श्री सोहन	बहराइच	17460
2	गिरीश पुत्र धनपाल	कासगंज	17483

अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।